न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 112/2022

1. शेरसिंह पुत्र शंकर(मृतक)
   1/1. कलियादेवी पत्नि शेरसिंह
   1/2. कल्यानसिंह
   1/3. छज्जनसिंह
   1/4 रघुवीर सिंह
   1/5. गोरेलाल
   1/6. अशोक कुमार पुत्रान स्व0 शेरसिंह जातियान लोधा निवासी बहरारेखपुरा
2. रूपकिशोर पुत्र भगवानसिंह
3. करनसिंह
4. कपिल देव पुत्र भगवानसिंह जाति लोधा निवासी बहरारेखपुरा तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कलुआ पुत्र श्रीया
2. पुरूषोत्तम
3. रामवीर
4. कप्तान
5. दीवानसिंह पुत्रान कलुआ जाति जाट निवासी बहरारेखपुरा तह0 उच्चैन।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—01.05.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1095/535 रकवा 2 विस्वा वाके ग्राम वहरारेखपुरा तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार व काविज आराजी है तथा विवादित आराजी का विना किसी बाधा के उपयोग व उपभोग कर रहे है। विवादित आराजी से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

है किन्तु अप्रार्थीगण की मंशा हमेशा से उक्त विवादित आराजी पर अवैध रूप से कब्जा करने की रही है चुकि अप्रार्थीगण संख्यावल में ज्यादा होने व एक जाति विशेष के व्यक्ति होने के कारण दिनांक 19.1.19 को अप्रार्थीगण मौके पर विवादित आराजी में घुस आये तथा उक्त आराजी में पडे सूखे पडी लकडी इत्यादि को ले जाने लगे प्रार्थीगण द्वारा ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ फौजदारी की व स्पष्ट रूप से धमकी दी अब हम तुम्हें उक्त आराजी पर काबिज नहीं रहने देगे जल्द ही हम उक्त आराजी पर काबिज होगे तथा तुम्हें जबरन लाठी के बल पर बेदखल कर देगें तथा विवादित आराजी को खुर्दबुर्द कर देगे। उक्त धमकी के कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में सारे तथ्य झूठे तथा निराधार दर्ज कराये है। प्रार्थीगण का यह कहना कि हमारी आराजी पर अबैध रूप से कब्जा करना चाहते है गलत है क्योंकि हम अप्रार्थीगण की उक्त आराजी की किसी भी दिशा में प्रार्थीगण की कोई आराजी एवं कब्जा काश्त नहीं है और ना ही कभी कोई कब्जा काश्त रही है। प्रार्थीगण गांव की आपसी रंजिश के कारण हम अप्रार्थीगण को तंग एवं परेशान करने के लिये यह वादपत्र पेश किया है जो काबिल खारिजी है। दिनांक 19.01.2019 को अप्रार्थीगण गांव में ही नहीं थे तथा हमारी कोई भी मुलाकात प्रार्थीगण से नहीं हुई तो फिर धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता वाद कारण के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिजी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादीगण उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादीगण लठैत व्यक्ति है जो कि विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी का खसरा नया खसरा नम्बर 641 है एवं उच्चैन से पींगोरा जाने वाली रोड का खसरा नम्बर 642 है। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 653 में रहते है जो प्रार्थीगण की आराजी से लगता हुआ नहीं है और ना ही प्रार्थीगण की आराजी के नजदीक है एवं विवादित आराजी पर प्रार्थीगण की कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रही है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अतिक्रमण, कब्जे आदि के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जवाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के हक निहित है। इस प्रकार

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण में मजवूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सवूत लेकर ही किया जा सकता है।

प्रकरण में अव प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में रिकार्डेड खातेदार होने के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा से पावंद करवाना चाहा गया है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी की मौके स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के पश्चात वादी के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रवल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अव सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखने के वारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विवादित आराजी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा बताया गया कि अप्रार्थीगण जबरन लठ्ठ के दम पर प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। जबकि अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण खसरा नम्वर 653 में रहते है जो प्रार्थीगण की आराजी से लगता हुआ नहीं है और ना ही प्रार्थीगण की आराजी के नजदीक है एवं विवादित आराजी पर प्रार्थीगण की कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रही है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थी को होने बाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पावंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्वर 1095/535 रकवा 2 विस्वा (मुताबिक जमावंदी 2070–2073) बाके ग्राम वहरारेखपुरा तहसील उच्चैन में मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
17/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० अप्रार्थी उप० अप्रार्थी के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 24/4/25 को पेश हो। Sd/-	
24/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० अप्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1/5/25 को पेश हो। Sd/- सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	
1/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० अप्रार्थी उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखाया जाकर ह० कि० हुए। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो। Sd/- सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	